

खंड - I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी मध्य प्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 2025_MPF_427407_1/ई-टेंडरिंग/2025-26 दिनांक 30/05/2025

- वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल डिण्डौरी द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अन्तर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।
- निविदा प्रपत्र म.प्र.शासन की वेबसाईट से <https://www.mptenders.gov.in/> डाउनलोड करें।
- यह निविदा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सामान्य वनमंडल डिण्डौरी म.प्र. अंतर्गत सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित की जा रही है।
- सामग्री क्रय हेतु निविदा को निर्धारित प्रारूप में वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in/> पर ऑन-लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है।
- निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	सामग्री का नाम	स्पेशिफिकेशन	अनुमानित मात्रा	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	सीमेंट OPC	53 Grade IS 12269:1987 (Standard Bag Weight 50 kg.)	आवश्यकता नुसार	150000	1000/-
2	सीमेंट OPC	43 Grade IS 8112:1989 (Standard Bag Weight 50 kg.)			
3	सीमेंट PPC	53 Grade IS 1489:2015 (Standard Bag Weight 50 kg.)			
4	सीमेंट PPC	43 Grade IS 1489:2015 (Standard Bag Weight 50 kg.)			

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 30/05/2025 समय 06:00Pm से 19/06/2025 समय 06:00 Pm तक ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
- निविदा पूर्व बैठक दिनांक 16 / 06 /2025 समय 04:00 Pm को डिण्डौरी सामान्य वनमण्डल कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले सकते हैं। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होंगे जिन्होंने ई-टेंडर फॉर्म खरीदे हैं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
- ई-निविदा आमंत्रण सूचना** में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल: <https://www.mptenders.gov.in/>


वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

खंड-II

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

अ. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्रमांक	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	डिण्डौरी वनमण्डल में किये जाने वाले वानिकी कार्यों के लिए निर्माण सामग्री (ओपीसी, पीपीसी, सीमेंट) क्रय करने हेतु दरों की निविदा
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	2025_MPFD_427407_1
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	1000/- प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	1,50,000/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी वनमण्डल द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	1,00,000/- (प्रत्येक सामग्री के लिए पृथकपृथक)
7	अनुमानित निविदा मूल्य	50,00,000/-
8	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	19/06/2025 06:00PM
9	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	21/06/2025 12:00PM
10	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	23/06/2025 12:00PM
11	जमा करने का प्रकार	ऑनलाइन जमा https://mptenders.gov.in/ पर करें

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन बदली जा सकती है।
3. वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी वनमण्डल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के साथ

निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

4. प्रति निविदाकार एक निविदा:

4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है।

4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदाएँ प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदाएँ अयोग्य मानी जाएँगी।

5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्च वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि यह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्च निविदाकार को वहन करना होगा।

7. यदि निविदा खोलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्य दिवस पर दोपहर 3:00 पर खोली जायेगी।

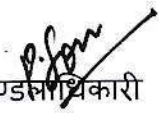
8. **प्रक्रिया-1:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेजों को फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित स्वप्रमाणित कर स्कैन कॉपी अपलोड की जावेगी।

9. **प्रक्रिया-2:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को एक्सेल शीट में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

10. **प्रक्रिया-3:** तकनीकी निविदा खोलने दिनांक के पूर्व प्रदाय की जाने वाली सामग्री का ब्रांड लेटर एवं सेम्पल वनमण्डल कार्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। जिसमें सामग्री का विस्तृत विवरण, तकनीकी विवरण, रंग, डिजाइन, आदि का उल्लेख करना होगा। अगर सामग्री का कोई सामग्री का प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट ब्रोसर हो तो उसे उल्लेखित कर संलग्न करें। (अनुलग्न-8)

11. **प्रक्रिया-4:** उक्त दिनांक में आयोजित प्रथम निविदा में तीन से कम फर्म होने अथवा तकनीकी निविदा में एक भी सफल फर्म प्राप्त नहीं होने की स्थिति में द्वितीय एवं तृतीय निविदा का आयोजन किया जावेगा।

12. **प्रक्रिया-6:** वित्तीय निविदा में चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रु. 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध एवं निष्पादन प्रतिभूति के रूप में रुपये 1,50,000/- की राशि का एफ.डी.आर./बैंक गारंटी/बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में "वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी" के पक्ष में जारी कराकर वनमण्डल कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा निविदा अस्वीकृत करने की कार्यवाही की जावेगी।


वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी